

संपत्ति अबभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं० 383 2015 Dr. C.C. Mahabo Teachers आवेदक सं० 383 2015

चूँकि श्री. Kunal Singh Ali ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध निबन्धित संव्यवहारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। Nagu more chad
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अबभारों के बारे में वहाँ।। में और उससे अनुक्रमणियों।। में ता० 1995 से ता० 2/5/15 तक तलाश की गयी और ऐसा तलासी के बाद निम्न सव्यवहारों और अबभारों का पता चला है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज के प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादन	दावेदारी	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	70429- Thane Khade Plot 1198. Area 01 Acre	Sardaha 24 69	Free from Encumbrance रकबात 2 रु० के अनुदर बकाया					

Minister
5/5/15
जिला अवधि निबंधक
बेनादे (राह)


(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

- (ख) 1) बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान अवधि दर्ज करें बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।
2) पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(2)


मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सदव्यवहार और अवधारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्तियों ने प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) 

तलासी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की


(हस्ताक्षर) :- 

(पदनाम) :- 

कार्यालय :- D.S.R Bokra

तारीख :- 5/9/15




5/9/15
निबन्ध/पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र के सदव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्ता वेजों में दिया गया हो तो वैसी दस्तावेजों सदव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निबन्धन अधिनियम को 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

[क] किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में उपेक्षित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलासी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

[ख] ✓ और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक की अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूँकि उनके द्वारा ढुंढे गये सदव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढु गये ऐसे सदव्यवहारों और अवधारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त सम्पत्ति पर पड़ता हो।